(ख) 292 पात्र व्यक्तियों को कब्जा दिया गया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों की आबादी

2550. **श्रीमती सत्या बहिन :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की कुल आबादी कितनी है, क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरोजिनी नगर के पिलंजी गांव को भी इस सर्वेक्षण के अन्तर्गत शासित किया गया था, यदि हां, तो गाय-भैंसों के कारण उत्पन्न समस्याओं, अपर्याप्त जल-निकासी प्रणाली, सफाई के अभाव तथा अवैध निर्माण की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है ।

(ग) दिल्ली की गन्दी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है । और

(घ) सरकार भविष्य में झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों के विस्तार को रोकने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) जहां तक अधिसूचित मलिन बस्ती की आबादी का सम्बन्ध है, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सातवीं पंच-वर्षीय योजना के प्रारम्भ में अधिसूचित मलिन बस्ती क्षेत्रों में 18 लाख निवासी होने का अनुमान लगाया था ।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सरोजिनी नगर का पिलंजी गांव सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि यह 1981 से पहले मलिन बस्ती क्षेत्र अधिसूचित कर दिया था । इस गांव के लोगों के मवेशियों के इधर उधर घूमने की रोकथाम के लिए एक चार दिवारी बनाने का प्रस्ताव नई दिल्ली नगर पालिका के विचाराधीन है । किसी भी निवासी ने अभी तक पानी के लिए निजी मीटर कनेक्शन नहीं लिया है । दस गहरे हैन्डपम्प और एक निःशुल्क सार्वजनिक बड़े नल की व्यवस्था की गई है । सफाई कार्यों के लिए काफी संख्या में स्वास्थ्य कर्मचारी तैनात किये गये हैं । गांव से मवेशियों के स्थानान्तरण और अनधिकृत निर्माण को हटाने के सम्बन्ध में कार्रवाई चल रही है ।

(ग) जहां तक अधिसूचित मलिन बस्ती क्षेत्रों का सम्बन्ध है, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उसका स्लम विग शहरी मलिन बस्तियों का पर्यावरण सुधार कटरों के संरचनात्मक सुधार और पुनर्वास तथा मलिन बस्ती निवासियों के लिए पुरानी दिल्ली और इसके विस्तार क्षेत्र में फ्लैटों के निर्माण की स्कीमें चला रहा है । पर्यावरण सुधार स्कीम के अन्तर्गत, न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं, क्षेत्र की आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जुटाई जा रही है । कटरों के संरचनात्मक सुधार और पुनर्वास स्कीम के तहत, पुरानी दिल्ली और इसके विस्तार में स्थित स्लम सम्पदाओं/कटरों में मरम्मत करने के प्रयास किए जा रहे हैं । फ्लैटों के निर्माण की स्कीम के लिए, वर्ष 1992–93 के दौरान खतरनाक कटरों के निवासियों के लिए दिल्ली के विभिन्न भागों में फ्लैट बनाने का प्रस्ताव है ।

(घ) भूमि स्वामित्व वाली एजेंसियों द्वारा अपनी भूमि को झुग्गियों के अतिक्रमण से बचाने के लिये कड़ी चौकसी बरतने की अपेक्षा की जाती है । ज्यों ही अतिक्रमण का पता चलता है, इनको हटाने के लिए स्थानीय निकायों (दिल्ली विकास प्राधिकरण) द्वारा संगत अधिनियम

के तहत कार्रवाई की जाती है । पुलिस थानों में रपट (एफ.आई.आर) भी दर्ज कराई जाती है ।

Renovation of Vigyan Bhavan

2551. SHRI SHANTI TYAGI : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the sstimaled cort of renovating and rebuilding the Vigyan Bhawan;

(b) the quantum of work which has been done so far; and by when this building would be in its old shape again ; and

(c) whether new devices are being installed to protect it against fire and any such happening?

THE MINISTER OF STATS IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) The revised estimated cost is Rs. 24,78,66,000/- approximately.

(b) Nearly 20% of the work has been completed upto July 92. The renovation work is expected to be completed by 30th April, 1993.

(c) Yes, Sir. Automatic water sprinklers, Wat Risers and Fire hydrants are some of the new devices being provided for fire fighting.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कैटल डेरी फार्म का आवंटन

2552. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मदनपुर खादर और मकसूदपुर कैटल डेरी फार्म को निःशुल्क आवंटित किया था और उस पर शुल्क लेने का निर्णय लिया गया ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने लोगों ने शुल्क जमा किया है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आवंटिती शुल्क का बिना भुगतान किए उन स्थानों को बेच कर जा रहे हैं यदि हां, तो ऐसे कितने मामले सामने आए हैं, और

(घ) क्या सरकार ने कोई ऐसा आदेश जारी किया है कि ऐसी आवंटित जगह को खरीदा तथा बेचा जा सकता है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो जिन लोगों ने इसकी खरीद और बिक्री की है, उनके विरुद्ध क्या कारवाई की गई है, और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) जी, नहीं दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि मदनपुर खादर और मसूदपुर कैटल डेरी फार्म प्रारंभ में लाइसेंस आधार पर आवंटित किए गए थे परन्तु बाद में इनको लीज-होल्ड आधार पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया था ।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं **(नीचे देखिये)**

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि ऐसा कोई मामला उनके ध्यान में नहीं आया है ।

(घ) कैटल डेरी फार्म के आवंटन की शर्तों के अनुसार खरीद/बेच की अनुमति नहीं है । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि चूंकि, खरीद/बेच का कोई मामला उनके ध्यान में नहीं आया है, इसलिए उनके द्वारा कोई कारवाई अपेक्षित नहीं है । कैटल डेरी फार्म की अनधिकृत खरीद/बेच के मामले ध्यान में आने पर आवंटन की शर्तों के अनुसार कारवाई की जाएगी ।